_उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या- 35/2026/833/78-1-2026-45/2026

लखनऊः दिनांक: 22-07-2026

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः-763/78-1-2026-45/2026, दिनांक 10 जुलाई 2026 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति,2026 अधिसूचित की गई है। यह नीति अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पांच (5) वर्ष तक प्रभावी रहेगी। उक्त नीति में **नीति कार्यान्वयन इकाई** (PIU) के गठन का प्राविधान है।

2- **नीति कार्यान्वयन इकाई** (PIU), स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन से संबंधित नोडल एजेंसी की गतिविधियों की निगरानी करेगी तथा परिचालन संबंधी मामलों के लिए प्राथमिक निर्णय लेने वाली इकाई के रूप में कार्य करेगी। इसके अंतर्गत इनक्यूबेटरों की मान्यता, स्टार्टअप्स हेतु प्रोत्साहनों की स्वीकृति, स्टार्टअप फंड की शुरुआत तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम के संवर्धन हेतु आयोजित कार्यक्रमों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल होंगे।

3- नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU), स्टार्टअप नोडल एजेंसी के माध्यम से स्टार्टअप इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों के लिए लागू प्रोत्साहनों की समीक्षा एवं अनुशंसा करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। इसके अतिरिक्त, यह शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को सुनिश्चित करेगी तथा स्टार्टअप्स एवं अन्य हितधारकों को आवश्यक मार्गदर्शन, सुविधा एवं सहयोग प्रदान करेगी।

4- जहां आवश्यक होगा, PIU मामलों को आगे विचार-विमर्श एवं निर्णय हेतु सशक्त समिति (Empowered Committee-EC) के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। इसके अतिरिक्त, PIU की जिम्मेदारियों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना, उद्योग संघों के साथ सहभागिता करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों एवं कॉरपोरेट संस्थाओं को जोड़ना, स्टार्टअप नीति का प्रचार-प्रसार करना तथा उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के समग्र विकास एवं वृद्धि को समर्थन प्रदान करना शामिल होगा। उक्त समिति की संरचना निम्नवत है:-

क्र0सं0	सदस्य	भूमिका
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
8	विशेष सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9	कुलपति, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU), लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), यूपी स्टार्टअप मिशन	सदस्य सचिव

नोटः

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), यूपी स्टार्टअप मिशन की नियमित नियुक्ति होने तक, प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।
- नीति कार्यान्वयन इकाई अध्यक्ष आवश्यक समझे जाने पर, विशिष्ट बैठकों हेतु डोमेन विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं, स्टार्टअप संस्थापकों तथा विषय विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहयोजित (Co-opt) कर सकेंगे।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तैदव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- समिति के सदस्यगण
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

6- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह प्रकरण में समिति की बैठक आहूत करने एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

7- प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

समीर

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।